39

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी 2537-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs.20/-

228
27.6.15

श्यामवती वाई उर्फ श्यामवाई पत्नी भगवती प्रसाद रैदास पुत्री धनुकधारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम अमरकंट तह0 पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर म0प्र0

---------आवेदिका

बनाम्

म0प्र0 राज्य ---------अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दिनांक 27-6-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी / पुर्नविलोकन / अभ्यावेदन विरूद्ध आदेश कलेक्टर अनुपपुर दिनांक 28/02/12 बावत् प्रकरण नि0 C/2011–12 व आदेश तारीख 11/06/07

मान्यवर

निगरानी / पुर्नविलोकन / अभ्यावेदन के आधार निम्नलिखित है:-

क्रमांक ... पोस्ट द्वारा आज ... को प्राप्त ... ग्वालियर ... राजस्व

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की अन्य के अतिरिक्त आंगे दर्ज समस्त कार्यवाही आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

2- यंह कि अधी0 विचारण न्यायालय तहसीलदार वृत्त मंजरी तह0 पुष्पराजगढ़, के समक्ष आवेदिका सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया और जिन भूमियो का सीमांकन किया जाना था। वे भूमियॉ आवेदिका की पुस्तैनी भूमियॉ थी यानी आवेदिका के पिता 2 भाई थे आवेदिका के पिता का नाम धनुकधारी व चाचा का नाम रेवादास था आवेदिका के पिता धनुकधारी दीमागी रूप से अस्वस्थ थे, इस कारण धनुकधारी व आवेदिका के मालिक मुखिया कर्ता खानदान आवेदिका है, के चाचा देवदास थे जो पढे लिखे काफी चलते पुर्जे व होशियार व्यक्ति थे, और

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0नि.2537—तीन/15 जिला—अनूपपुर

श्यामवती बाई/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
17.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	